न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री कृष्णपाल सिंह चौहान

प्रकरण संख्या 285 / 2016 राजस्व वाद

श्रीमति जुबैदा बनाम धन्ना वगैरह

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

अधिवक्ता वादी – अशोक कुमार श्रोत्रिय

अधिवक्ता प्रतिवादीगण – एकतरफा

निर्णय

दिनांक :– 20 / 06 / 2019

यह है कि उक्त प्रकरण वादिया ने सिविल न्यायाधीश महोदय माण्डल के न्यायालय मे प्रस्तुत किया जहॉं से उक्त प्रकरण दिनांक– 23.11.16 को अन्तरित होकर क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर न्यायालय को प्राप्त हुआ जिस पर उक्त प्रकरण को न्यायालय मे पंजीबद्ध कर दर्ज किया गया उक्त प्रकरण में वादिया ने उक्त वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादिया के खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि राजस्व ग्राम माण्डल तहसील माण्डल में स्थित है जो जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 मे खाता संख्या नई 63 पर दर्ज है जिसके आराजी नम्बर 1934 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा है जिसकी वादिया खातेदार काश्तकार होकर अपने पति के साथ काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है उक्त भूमि के सटमा प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि आरजियात है जिसके आराजी नम्बर 1931,1932,1933,9692 / 1934, कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है उक्त जमीन को प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना औद्योगिक सम परिवर्तन कराये उक्त जमीन मे चिमनी का ईट भट्टा लगा रखा है जो निरन्तर रूप से जारी है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भट्टा विधि विरूद्ध चलाया जा रहा है जिससे वादिया की जमीन खराब हो रही है तथा प्रदूषण हो रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 भट्टे का मलवा वादिया की जमीन पर डाल रहा है और वादिया की जमीन पर अवैद्य अतिक्रमण कर लिया इस बाबत् वादिया ने अपने जमीन की पत्थरगढी कराने के लिये इसी न्यायालय द्वारा पत्थरगढी कराने का आदेश प्राप्त किया जो आदेश पत्थरगढी किये जाने के लिये प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार साहब माण्डल को भेजा किन्तु प्रतिवादी

—02—

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3,4,5 को अपने प्रभाव मे लेकर पत्थरगढ़ी के आदेश की किग्रान्वित नही होने दी इस कारण वादिया ने यह अनुतोष चाहा कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उसके खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि जो विधि विरूद्ध चिमनी भट्टा चलाया जा रहा है उसे बन्द किया जावे तथा पत्थरगढ़ी के आदेश की पालना के लिये तहसीलदार साहब को आदेश दिया जावे कि प्रार्थीया की जमीन की पत्थरगढ़ी करे व प्रतिवादी संख्या 1 ईट भट्टा बन्द नहीं करे तो उसकी जमीन को बिलानाम सरकार किये जाने का आदेश दिया जावें।

वादपत्र दर्ज होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शरद पालीवाल ने उपस्थिति ली जवाब के लिये अवसर चाहे अन्त मे उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से हिदायत पेरवी नहीं होने से अवगत कराया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया तथा पत्रावली को साक्ष्य वादी मे नियत की गई

यह है कि वादिया ने साक्ष्य वादी मे अपने स्वयं का शपथपत्र पूर्व मे उपस्थित जमाबन्दी व शपथपत्र के साथ प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चलाये जा रहे चिमनी के भट्टे की रंगीन फॉटोग्राफ प्रस्तुत किये तथा समर्थन मे दो अन्य गवाहो के शपथपत्र भी प्रस्तुत किये उसी दिन वादीया के अधिवक्ता की बहस हुई।

यह है कि मैने पत्रावली का व उस पर आये दस्तावेजो का एवं वादिया के अधिवक्ता के बहस पर सूक्ष्मता से अवलोकन किया तो जाहिर आया कि वादिया ग्राम माण्डल के आराजी नम्बर 1934 उसके खातेदारी अधिकारो की है तथा उससे लगती हुई प्रतिवादी संख्या 1 की जमीन जिसके आराजी नम्बर 1931,1932,1933,9692/1934 है जो प्रतिवादी के नाम पर दर्ज है वादिया द्वारा प्रस्तुत रंगीन फॉटोग्राफ, व अन्य गवाह द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 उसकी जमीन पर चिमनी का ईट भट्टा चला रहा है जबकि राजस्व अभिलेख मे जो जमीन है वह औद्योगिक कार्य के लिये समपरिवर्तन नही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त चिमनी भट्टा चलाने के लिये किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कोई स्वीकृति ली हो ऐसा भी प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध नही है। चूंकि प्रतिवादी सख्या 1 जाति से कुम्हार है तो अपनी आजिवीका कमाने के लिये लघु उद्योग चलाने का अधिकार है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी जमीन पर ईट भट्टा चलाया जा रहा है जो विधि विरूद्ध है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

यह है कि वादिया ने यह अभिलिखित किया इसी न्यायालय द्वारा दिनांक :– 27/11/2010 को वादिया की जमीन पर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जिसकी अनुपालना अभी तक नही हुई जिस बाबत् वादिया ने अपने शपथपत्र मे यह अभिलिखित किया कि पत्थरगढ़ी कराये जाने के लिये वादिया ने प्रतिवादी संख्या 3 के कार्यालय मे अनेक बार आवेदन पत्र दिया तथा प्रतिवादी संख्या 2 जिला कलेक्टर भीलवाड़ा एवं जन सुनवाई जैसे राष्ट्र कार्यक्रम मे भी उपखण्ड अधिकारी माण्डल के पत्थरगढ़ी के आदेश की पालना कराने के लिये आवेदन दिये किन्तु उसकी पत्थरगढ़ी आज दिन तक नहीं हुई।

इस प्रकार वादिया द्वारा किये गये अभिकथन व उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र व दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन मे प्रतिवादीगण द्वारा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसी स्थिति मे मेरे अभिमत ने वादिया का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादिया का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 अपनी कृषि भूमि जो ग्राम माण्डल में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 1931, 1932, 1933, 9692/1934 में चल रहे ईट भट्टे को तुरन्त बन्द करे तथा प्रतिवादी संख्या 03 को आदेश दिया जाता है कि वह मोके पर जाकर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चलाये जा रहे भट्टे को तुरन्त बन्द करें तथा ऐसा नही करने की सूरत मे प्रतिवादी संख्या 1 की जमीन बिलानाम सरकार करने की कार्यवाही करें तथा वादिया के आराजी नम्बर 1934 जिसकी पत्थरगढ़ी का आदेश इस न्यायालय द्वारा दिनांक :– 27/11/2010 को दिया उसकी पालना तुरन्त प्रभाव से पत्थरगढ़ी की जावें।

इस आदेश की एक नकल तहरीर के साथ पालना के लिये तहसीलदार माण्डल को भेजी जावें।

उक्त आदेश आज दिनांक :– 20/06/2011 को खुले न्यायालय मे सुनाये गये

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / आ0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

बईजलास श्री कृष्णपाल सिंह चौहान (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री मती जुबैदा जोजे मोहम्मद हनीफ अंसारी मुसलमान निवासी - माण्डल, तहसील - माण्डल

वादी

बनाम

श्री धन्ना s/o श्री नन्दा कुम्हार निवासी माण्डल तहसील - माण्डल
राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल
भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल तहसील माण्डल
पटवारी, पटवार हल्का

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 मुकदमा नं0 / वर्ष 285/16 निर्णय दिनांक 20.06.19

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व [illegible] मुकाबल [illegible] निनजानिब मुदई श्री अशोककुमार श्रोत्रिय Adv. [illegible] जानिब मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अत: वादिया का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 01 अपनी कृषि भूमि जो ग्राम माण्डल मे स्थित है जिसके आराजी नम्बर 1931, 1932, 1933, 9692/1934 मे चल रहे ईंट भट्टे को तुरन्त बन्द करे तथा प्रतिवादी सं. 03 को आदेश दिया जाता है कि मौके पर जाकर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा चलाये जा रहे भट्टे को तुरन्त बन्द करे तथा ऐसा नहीं करने की सूरत मे प्रतिवादी संख्या 01 की जमीन बिलानाम सरकार करने की कार्यवाही करे तथा वादिया के आराजी नं. 1934 जिसकी पत्थरगढ़ी का आदेश इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.10 को दिया उसकी पालना तुरन्त प्रभाव से पत्थरगढ़ी की जावे / खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आज तारीख 20-6-19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा